न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-75/2017

1- मुन्नीदेवी पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी सुभाषचन्द (जाति ब्राहम्ण निवासी चंवरा
2- मन्जुदेवी पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी ओमप्रकाश (तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
3- गायत्री पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी जमनासागर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज0)

--रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
10-4-2017 द्वारा सहायक
कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री पोखरमल एडवोकेट- राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 3.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा घोषणा, दुरूस्ती रेकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48/139 कुल किता-7 रकबा 1.16 हैक्टर तन ग्राम चक खण्डेला नं0-1 तहसील खण्डेला में अवस्थित है । जो वादिया के पूर्वजों के समय से प्रथम सैटलमेन्ट से ही कब्जा काश्त में रही है । आज भी वादिया का कब्जा काश्त है ।इस आराजी की सींव जोड वादिया की खातेदारी भूमियों अवस्थित है । जिनके साथ ही विवादित भूमियों की काश्त

की जाती रही है । किन्तु सैटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना मौका की जांच किये ही उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करने में कानूनी भूल की है । जबकि विवादित आराजी पर वादिया का पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके किन्तु इस आराजी को सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायक दर्ज करने पर प्रतिवादी जबरन बेदखल करने पर आमादा है । जिसके उसे कोई हक अधिकार नहीं । अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीया का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्तकार है । अपीलान्टस् अपने पिता स्व0 बद्रीप्रसाद के समय से प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है । अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से उक्त आराजी पर अपीलान्ट अपने पिता के समय से काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं । अदालत मातहत ने बिना मौका जांच किये ही आदेश पारित किया है। सैटलमेन्ट अधिकारियों/कर्मचारियों ने मौके के विपरित इन आराजियों को सिवायचक दर्ज कर कानूनी भूल की है। जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10-4-2017 को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 में विवादित आराजी राजकीय दर्ज है । प्रदर्श-3 खसरा परिवर्तित सम्वत 2051 (वर्ष 1994) में विवादित आराजी की काश्त अपीलान्ट के पिता स्व0 बद्रीराम के नाम दर्ज है । प्रदर्श-4 खसरा परि--वर्तित सम्वत 2025 में भी स्व0 बद्रीराम का ही कब्जा काश्त है । खसरा परिवर्तित सं0- 2062 में विवादित आराजी पर गिनोडी बेवा बद्रीराम का कब्जा काश्त दर्ज है ।अदालत मातहत ने जबाब दावा आने पर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आदेश पारित किया है। अदालत मातहत को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों से साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला का निर्णय दिनांक 10-4-2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दि0 9-5-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 3.4.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर